मध्याह्न भोजन योजना

विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2005 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग I-V में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्रा को, 1 मार्च, 2008 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग VI-VIII में पढने वाले सभी छात्र/छात्रा को एंव वित्तीय वर्ष 2010–11 से बाल श्रमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं को गरमा गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना का अलग बैंक खाता सी0बी0एस0 ब्रांच में खुलवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से एडवाईस के माध्यम से सीधे विद्यालयों को परिवर्त्तन मद की राशि का हस्तानान्तरण प्रारम्भ किया गया है।

खाद्यान्न की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु अधिकृत संवेदक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड साधन सेवी के संयुक्त हस्ताक्षर से खाद्यान्न का उठाव किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, संवेदक द्वारा खाद्यान्न का उठाव कर उसी दिन विद्यालयों में वितरण की प्राप्ति रसीद (कुल खाद्यान्न/खाद्यान्न की गुणवत्ता/प्रति बोरे का वजन सहित) प्रभारी प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

योजना की अनुश्रवण प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु Online Monitoring System के माध्यम से प्रतिवेदन की प्रविष्टि कराने हेतु मध्याह्न भोजन योजना का Web Application विकसित कराया गया है। Online डॉटा प्रविष्टि का दायित्व प्रखंड साधन सेवी को दिया गया है। प्रखंड साधन सेवी के अपने प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार करना तथा अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। Web Application esa Multi Report creation की व्यवस्था Basic Data के आधार पर किये जाने की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। प्रतिदिन विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत होने हेतु IVRS (Interactive Voice Response System) लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रतिदिन विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन करने के उपरांत दूरभाष के माध्यम से अद्यतन स्थिति यथा नामांकित बच्चों की संख्या, उपस्थित बच्चों की संख्या, आच्छादित बच्चों की संख्या की सूचना एकत्र करने का प्रावधान है।

निदेशालय से प्रखंड स्तर तक की अनुश्रवण प्रणाली को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने हेतु राज्य से प्रखंड स्तर तक मासिक समीक्षात्मक बैठक एवं नियमित निरीक्षण राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है। यह सारी प्रक्रिया और मध्याह्न भोजन का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे।

मध्याह्न भोजन योजना के दैनिक अनुश्रवण हेतु 1 अप्रैल 2012 से IVRS लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होने वाले बच्चों से संबंधित आँकड़ों को प्रतिदिन प्राप्त किया जा सकेगा।

<u>वित्तीय वर्ष 2011–12 की उपलब्धि</u>

- वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रथम 9 माह में प्रतिदिन औसत वर्ग I-V के 68,44,511 छात्र/छात्रा तथा वर्ग VI-VIII के 20,65,399 छात्र/छात्रा को गरमा गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रत्येक विद्यालय को वर्ग I-V के छात्र/छात्रा के लिए प्रति छात्र/छात्रा प्रतिदिन 100 ग्राम चावल के अतिरिक्त परिवर्तन मूल्य मद में ₹ 2.92 एवं वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा के लिए प्रति छात्र/छात्रा प्रतिदिन 150 ग्राम चावल के अतिरिक्त परिवर्तन मूल्य मद में ₹ 4.33 उपलब्ध कराया जा रहा है।
- परिवर्तन मूल्य की उक्त दर में वित्तीय वर्ष 2012–13 से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- इसके अलावे विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले प्रत्येक रसोईया को (कुल संख्या–1,83,583) वर्ष के 10 महीनों के लिए प्रतिमाह ₹ 1000/– की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है तथा उक्त सभी रसोईयों को वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंतिम त्रैमास से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि स्वच्छ और उचित तरीके से मध्याह्न भोजन की तैयारी सुनिश्चित की जा सके।
- सप्ताह के छः दिनों के लिये सोमवार से क्रमानुसार मध्याह्न भोजन का मीनू निर्धारित है जैसेः–(1) चावल, दाल, सब्जी (2) छोला/राजमा/पुलाव (3) आलू सोयाबीन–चावल (4) खिचड़ी–चोखा (5) कढ़ी–चावल (6) दाल–पुलाव।
- उपर्युक्त मीनू में वर्ग I-V के छात्रों के लिए 100 ग्राम चावल के अतिरिक्त 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम हरी सब्जी, 5 ग्राम खाद्य तेल/वसा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा के लिए 150 ग्राम चावल के अतिरिक्त 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, 7.5 ग्राम खाद्य तेल/वसा प्रतिदिन प्रति छात्र/छात्रा निर्धारित है। NCLP के बच्चों को वर्ग I-V के बच्चों के मानदंड के अनुरूप ही मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वर्ग I-V के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रतिछात्र 12 ग्राम प्रोटीन, 450 कैलोरी उर्जा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रतिछात्र 20 ग्राम प्रोटीन, 700 कैलोरी उर्जा के अलावे आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामीन–ए जैसे माइक्रोन्यूट्रेन्टस निश्चित रूप से प्राप्त कराया जा सके।
- विगत चार माह से मध्याह्न भोजन योजना के कुशल प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु बेब आधारित मासिक MIS लागू कर दिया गया है जो मध्याह्न भोजन योजना के Website

WWW.mdmsbihar.org.in पर आमजन के अवलोकन के लिए भी उपलब्ध है। उक्त मासिक MIS की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं;

(i) प्रत्येक माह के उपरान्त, गत माह में व्यय एवं अवशेष राशि की Data Entry प्रखंड साधन सेवी के माध्यम से आगामी माह के 7वें दिवस तक समाप्त कर लिया जाना।

(ii) तदोपरान्त माह की 15वीं तिथि तक मदवार विद्यालयों में राशि की उपलब्धता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए औसत मासिक व्यय के आधार पर आगामी तीन माह हेतु राशि का हस्तानान्तरण Internet Banking एवं RTGS के माध्यम से जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा किया जाना।

(iii) MIS के माध्यम से वैसे विद्यालयों की सूची प्राप्त करना जिन्हें राशि एवं खाद्यान्न हस्तानान्तरित नहीं की गई है अथवा जहाँ मध्याह्न भोजन योजना किसी कारण से बाधित है।

➲ मध्याह्न भोजन योजना के कुशल प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्त्ताओं को प्रत्येक जिला में प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के पद पर पदस्थापित किया गया है।